न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4279–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 88/14–15/अपील

नरेश खण्डेलवाल पुत्र श्री मिक्कूलाल खण्डेलवाल
निवासी सौदागार संतर मुरार ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती कमलाबाई पवार पत्नी स्व0कृष्णराव पवार
निवासी पानपत्ते की गोठ लश्कर ग्वालियर
2–मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0के0दुबे, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/12/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की याचिका कमांक 1944/2014 में पारित आदेश दिनांक 8–4–2014 के पालन में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना किसी स्वत्व के भूमिस्वामी का नाम कम करने का आदेश दिनांक 25–5–2011 को पारित किया

गया है जिसे निरस्त किया जाकर पूर्ववत् भूमिस्वामी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 331/13–14/बी–121 दर्ज कर जॉच कराई जाकर दिनांक 12–9–2014 को आदेश पारित किया जाकर तहसीलदार के प्रकरण कमांक 14/2010–11/अ–6/अ में पारित आदेश दिनांक 25–5–2011 के पुनर्विलोकन की अनुमति देकर प्रकरण अपर तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–11–2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर के समक्ष हितबद्ध भूमिस्वामी को पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही पुनर्विलोकन की अनुमति देने के पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया है । इस वैधानिक स्थिति को अपर आयुक्त के समक्ष भी उठाया गया था परन्तु उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही किया जा सकता है और इसके लिये उस प्राधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति लिया जाना आवश्यक है जिनके अधीनस्थ वह अधिकारी है । इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा अनुमति देने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । इस स्थिति पर कलेक्टर द्वारा बिना विचार किये अनुमति देने में त्रुटि की गई है, क्योंकि कलेक्टर के समक्ष अनावेदिका द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अंतिम आदेश में निकाले गये निष्कर्ष उनके द्वारा अंतरिम आदेश में निकाले गये निष्कर्षो के विपरीत है । उनका यह भी तर्क था कि माननीय उच्च न्यायालय की द्वितीय अपील कमांक 45/सम्बत् 2004 निर्णय दिनांक 25–4–1950 (ए.आई.आर. 1959 एम.बी. 72) में शंकर राव की सहमति पर विचार नहीं किया गया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के वास्तविक केता घीसालाल है अतः मृतक शंकर के वारिसों को प्रश्नाधीन भूमि में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता

है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना विधिनुसार स्वत्व अंतरित किये शंकर का नाम कम कर आवेदक का नाम दर्ज करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिये कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान् अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद परीक्षण उपरांत केवल अनावेदक पक्ष को सुनकर अपने निष्कर्ष निकाले है तथा पुनर्विलोकन की अनुमति दी है, जबकि उन्होंने अपने आदेश में स्वयं स्वीकारा है कि वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि आवेदक तथा अन्य के नाम अंकित है । स्पष्ट है कि कलेक्टर के निष्कर्ष एक तरफा होने से स्वीकार योग्य नहीं है । इस संबध में शहीद अनवर विरूद्ध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2000 आरएन 76 डी.बी.(एच.सी.) में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट मत दिया है कि रिव्यु अनुमति बिना दूसरे पक्ष को सुने नहीं दी जा सकती है । इसी प्रकार 2000 आरएन 161(एच.सी.) में भी माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि रिव्यु अनुमति पूर्ण विचार के बाद ही दी जाना चाहिये । इस प्रकरण में स्पष्ट है कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं मिला है । अपर आयुक्त ने भी इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया है । उक्त परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में यह

विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि कलेक्टर/ अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण कलेक्टर को सभी पक्षों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये । आवेदक ने निगरानी जो अन्य बिन्दु उठाये हैं उन पर पृथक से विचार नहीं किया गया है । कलेक्टर अपना निष्कर्ष निकालते समय उन पर भी विचार करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2016 एवं कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–9–2014 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में सभी पक्षों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु कलेक्टर का प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर